

23335-975

संख्या /हिन्दी/केन्द्रीय जिला/238/2021

दिनी दिनांक

20 SEP 2021

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के अनुमोदन से हिन्दी दिवस 2021 के अवसर पर कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का सदेश आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है -

1. समस्त माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली, राजज एवेन्यू, नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि इस संदेश को आप अपने संबद्ध न्यायिक जिलों में परिचालित करवाएँ)।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, (केन्द्रीय जिला), तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. श्री राज कुमार चौहान, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) दक्षिम-पूर्व/अध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) नई दिल्ली/सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति श्री मुकेश कुमार, (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) केन्द्रीय/ सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री हेम राज, (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) केन्द्रीय/ सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
4. कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. देखरेख अधिकारी, केन्द्रीय जिला तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी केन्द्रीय जिला दिल्ली।
8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली।
9. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
10. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स इस निर्देश के साथ कि इसे वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड(Upload) करें।

MUKESH
KUMAR GUPTA

Digitally signed by MUKESH KUMAR
GUPTA
DN: cn=JUDGE DISTRICT AND SESSIONS
JUDGE DELHI, o=JUDGE DISTRICT AND
SESSIONS JUDGE DELHI,
postalCode=110003, st=DELHI,
cn=MUKESH KUMAR GUPTA
Date: 2021.09.20 14:54:13 +05'30

(मुकेश कुमार गुप्ता)

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली



संदेश

“हिन्दी दिवस”

14 सितम्बर, 2021

समाज का हित सर्वोपरि है — इस मूलमंत्र की सार्थक परिणति के लिए अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। यह अत्यंत आवश्यक है कि समाज और शासन की भाषा अलग-अलग न हो अपितु अधिकाधिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही हो।

14 सितम्बर, 1949 को भारत के संविधान में हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की सभी भाषायें हमारे लिये आदरणीय हैं लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और इसका अधिकाधिक प्रचार करने की नितांत आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले हिन्दी दिवस का विशेष महत्व है।

हमारा लक्ष्य है— हिन्दी सरकारी उपयोग के साथ-साथ जन-जन के व्यवहार की भाषा बने। इसके लिये आवश्यक है कि हमें अपने समस्त पत्र व्यवहार, आमंत्रण-निमंत्रण पत्र, आवेदन-प्रतिवेदन, सूचना एवं नामपट्ट, पत्रशीर्ष आदि में सर्वत्र हिन्दी के प्रयोग का संकल्प लेना चाहिये। हमें हिन्दी में सोचने, समझने व लिखने की आदत डालनी है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। चूंकि हिन्दी को शासन की राजभाषा घोषित किया गया है और शासन का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, इसलिये जनता के लिये किये जा रहे कार्य जनता की ही भाषा में होने चाहियें। संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विशेष महत्व है और इसके प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व हम सभी पर है।

14 सितम्बर, 2021 को “हिन्दी दिवस” के अवसर पर मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी को अपनाने, आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गरिमा के अनुकूल राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें, ताकि वे अपने दैनिक सरकारी कामकाज में भी अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग कर सकें। इस बात को समझने और अन्य लोगों को समझाने का प्रयास करें तभी “हिन्दी दिवस” सार्थक होगा।

सरकार द्वारा कोरोना संबंधी जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को “हिन्दी दिवस” 14 सितम्बर, 2021 के शुभ अवसर पर हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ करना चाहिए।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

(विजय कुमार देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिनांक 15-09-2021 शाम 4:55 बजे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं० 5(01) 2019-20-क०सं० एवं भाषा/610 से 690

दिनांक: 10/9/2021

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषय: "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2021 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।
महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2021 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली के संदेश को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित करें। इस पत्र के साथ कुछ सुविक्तियां भी संलग्न हैं।

भवदीया

(प्रमिला मित्रा)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 10/9/2021

फा.सं० 5(01) 2019-20-क०सं० एवं भाषा/691-716

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-02 ।
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02 ।
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में ।
18. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तृतीय तल, एन.डी.सी.सी. II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-01.

(प्रमिला मित्रा)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

228

हिन्दी भाषा से संबंधित सूक्तियां

1. हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है ।
2. हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
3. हिन्दी अपनाइये, देश का गौरव बढ़ाइये।
4. हिन्दी में काम करना सरल है, आज ही शुरू कीजिए।
5. हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है।
6. हिन्दी में काम बहुत आसान, समझना आसान, समझाना आसान।
7. हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी पहचान है। आइये इसका प्रयोग करके इसको सम्मान दें।
8. भारत की सभी भाषाएं बढ़ें। संघ का काम हिन्दी में करें।
9. राष्ट्रीय एकता की कुंजी है हिन्दी।
10. हिन्दी हम सबकी अपनी ही भाषा है, इसके प्रयोग में संकोच क्यों?
11. हिन्दी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है।
12. हिन्दी में सोचें, हिन्दी में लिखें।
13. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग गौरव की बात है।
14. हिन्दी में काम करते समय सरल भाषा अपनाएं।
15. हिन्दी अपनाएं, देश का मान बढ़ाएं।
16. हम सब का अभिमान है हिन्दी, भारत देश की शान है हिन्दी।
17. हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
18. हिन्दी भाषा को बढ़ावा दीजिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिये।।
19. राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।